# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक : प.2(  )बजट/सामान्य/लेखा/आईसीडीएस/2018 जयपुर, दिनांकः
14942-5311 31-10-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाऐं
समस्त।

विषय :— गरम पूरक पोषाहार और आरटीई एसएचजी में अतिरिक्त बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 164802—165105 दिनांक 12.09.2018 व पत्रांक 171022 दिनांक 20.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पोषाहार योजनान्तर्गत गरम पूरक पोषाहार और आरटीई एसएचजी की अतिरिक्त बजट का आंवटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित उपनिदेशक के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को भिजवाये इस अनुभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) की अभिशंषा पर ही अतिरिक्त बजट आवंटन किया जा सकेगा।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, सरकार

14922-61
क्रमांक : प.2(  )बजट/सामान्य/लेखा/आईसीडीएस/2018 जयपुर, दिनांकः
31-10-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) मुख्यालय को कार्यालय टिप्पणी दिनांक 22.10.2018 के सन्दर्भ में।
2. उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं समस्त को भेजकर कर लेख है कि अपने अधीन समस्त परियोजना कार्यालय से निदेशालय के सन्दर्भित पत्रों के अनुसार पूरक पोषाहार की अतिरिक्त बजट की मांग आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को भिजवाये।
3. एसीपी (उप निदेशक), कम्प्यूटर अनुभाग को वेब साईट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार



D:\Office Work\Letter ICDS\Letter Hindi.docx

D:\ADN\ALL LETTER 2017.DOCX329

# राजस्थान सरकार
# निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

---

क्रमांक :एफ 3(82)पो./अति.बजटआव./ICDS/2018 17022 जयपुर, दिनांक: 20-9-18

**परिपत्र**

पोषाहार के बिलों के भुगतान हेतु समय–समय पर निदेशालय स्तर से बजट आवंटित किया जाता रहा है। कुछ कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त बजट की मांग की जाती है, जिसमें पूर्व में आवंटित बजट को अधिक मात्रा में व्यय करने के कारण अंकित नहीं किये जाते है। अतः भविष्य में पोषाहार के लिए बजट आवंटन हेतु पूर्ण औचित्य अंकित करते हुये, अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) को लिखा जावे। अतिरिक्त बजट की मांग को सम्बन्धित उप निदेशक के माध्यम से भेजा जावें। उप निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि निरीक्षण के दौरान पोषाहार के बिलों का भुगतान समय पर नियमों एवं निर्देशों की पालना करते हुये किया जा रहा है, की जांच भी की जावे एवं अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख करे। बाल विकास परियोजना अधिकारी अतिरिक्त मांग संलग्न प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करे।

जिला स्तरीय कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी अधिनस्थ परियोजनाओं का पोषाहार पर हो रहे व्यय की विस्तृत जांच करेगें। प्रत्येक परियोजना का वर्ष में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जाना सुनिश्चित करेगें। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण के 7 दिवस में वित्तीय सलाहकार, निदेशालय को वित्तीय अनियमितता अंकित करते हुये भिजवाना सुनिश्चित करेगे। लेखाकर्मी अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान किये गये निरीक्षणों का उल्लेख करेगें।

(सुषमा अरोड़ा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 3(82)पो./अति.बजटआव./ICDS/2018 17023-362 जयपुर, दिनांक: 20-9-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
4. समस्तबाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक(पोषा.)

---

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

प्रेषक
बाल विकास परियोजना अधिकारी...

प्रेषिति
अतिरिक्त निदेशक(पोषा.)
समेकित बाल विकास सेवाएं

विषयः– अतिरिक्त मांग हेतु बजट आंवटन।

**बजट आवंटन हेतु प्रपत्र**

| **बजट मद** | **आवंटित राशि** | **व्यय** | **अतिरिक्त मांग** | | **कुल योग** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय में विचाराधीन नियमानुसार दावों की राशि | आगामी माहों में नियमानुसार दावों की राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

प्रमाणित किया जाता है कि पोषाहार मद में किया गया व्यय सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं RTPP Act/RTPP Rulesकी पालना करते हुए विभागीय निर्देशों के अनुसार किया गया है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवायें